

# कार्यालय-उपजिलाधिकारी, फरेंदा

## जनपद -महाराजगंज

### भू-प्रयोग प्रमाण-पत्र

पत्रांक-456i/आशुलि० /2014

दिनांक - 12/12/2014

श्री भूपेंद्रनाथ मिश्र  
प्रबंधक, स्वर्ण प्रभा महिला महाविद्यालय,  
आनंदनगर, फरेंदा, महाराजगंज

आपके पत्रांक-056/का०प्र०/2014 दिनांक 25/11/2014 से अवगत होकर  
निरक्षण दिनांक 30/11/2014 को सम्पन्न किया गया।

तत्पश्चात यह पाया गया कि गाटा स० 372, 141, 374, 141/659, 359, 166, 172,  
281, 309 कुल 9 किता कुल रकबा 2.131 हे० स्थित ग्राम महदेवा बुजुर्ग परगना  
हवेली, तहसील फरेंदा, जनपद महाराजगंज को कार्यालयी आदेश अंतर्गत धारा 143  
अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 द्वारा अकृषिक घोषित किया जा  
चुका है।

धारा 143 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत अकृषिक  
घोषित हो चुकी भूमि का उपयोग भूमिधर औद्योगिक शैक्षणिक वाणिज्यिक  
आवासीय अथवा कृषि से भिन्न किसी और प्रयोजन में कर सकता है।

उक्त भूमि में स्वर्ण प्रभा महिला महाविद्यालय फरेंदा महाराजगंज नाम का  
महाविद्यालय बना हुआ है। इस भूमि का प्रयोग विद्यालय के निर्माण हेतु  
किया जा रहा है।



सत्य प्रतीति  
कार्यालय तहसील  
फरेंदा महाराजगंज

*Musad*

*9.8.24*

Udai Bhan Rawat  
NOTARY  
Tahsil Sadar Garakhpur

